

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १५४] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर, ११, १९७०/भाद्र २०, १८९२

No. 154] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1970/BHADRA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

. New Delhi, the 11th September 1970

SUBJECT:—Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1970

No. 139-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 70-ITC(PN)/70, dated 7th May, 1970, No. 122-ITC(PN)/70, dated 14th August, 1970 and No. 132-ITC(PN)/70, dated 3rd September, 1970 indicating certain amendments which have been deemed to have been made in the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1970. The following further

amendments shall be deemed to have been made in the said Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1970:—

S.No.	Page No. of the Hand Book	Chapter/para No. of the Hand Book	Amendments
1	59	Para 83 (1) in Chapter IV Line 2.	For the figure "1969" read "1960".
2	97	Para 118(7) in Chapter V Line 1.	For the word "Classification" substitute the word "Clarification".
3	130	Chapter VII	The existing heading may be substituted as under :— "SPECIAL LICENSING SCHEMES. EQUIPMENTS FOR IRRIGATION PROJECTS".
4	152	Para 229 (c) in Chapter IX.	This para may be amended to read as under:— "Applications in terms of sub-para (b) of paragraph 228 can be made direct to the regional licensing authorities concerned".
5	403	Appendix 18	For the existing entry under the column "Authorities" against S. No. 8, substitute the following entry : "Commissioner, Food and Drugs Administration, Maharashtra State, Griha Nirman Bhavan, Bandra (East) Bombay-51 (AS).

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1970

विषय :—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि पुस्तक, 1970

सं० 139-आई०डी०सी०(पी०एन०)/70.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 70-आई टी सी (पी एन) / 70, दिनांक 7-5-1970, 122-आई टी सी (पी एन)/ 70, दिनांक 14-8-1970 तथा 132-आई टी सी (पी एन) / 70, दिनांक 3-9-1970 जिनके द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि पुस्तक, 1970 में कतिपय संशोधन प्रदर्शित किए गए समझे गए हैं, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि पुस्तक, 1970 में निम्नलिखित ओर संशोधन किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम संख्या	पुस्तक की पृष्ठ संख्या	पुस्तक का अध्याय/ कड़िका संख्या	संशोधन
1	2	3	4
1	59	अध्याय-4 में कड़िका 83 (1)	आंकड़े "1969" के लिए "1960" पढ़ें। पंक्ति 2.

1	2	3	4
2	97	अध्याय 5 में कंडिका 118(7) पंक्ति 1.	“वर्गीकरण” शब्द के बंधले “स्पष्टीकरण” शब्द का प्रयोग करें।
3	130	अध्याय-7	वर्तमान शीर्षक को निम्न प्रकार से बदला जाए :— “विशिष्ट लाइसेंस योजनाएं सिंघाई परियोजनाओं के लिए उपस्कर।”
4	152	अध्याय 9 में कंडिका 229(ई)	यह कंडिका निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित समझी जाए :— “कंडिका 228 की उप-कंडिका (बी) के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को सीधे भेजे जा सकते हैं।”
5	403	परिशिष्ट 18	क्रम सख्या 8 के लिए कालम “प्राधिकारियों” के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि “आयुक्त, स्वयं तथा भेषज प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, गृह निर्माण भवन, भान्डा (ईस्ट) नम्बर-51 (एएस)।” को प्रतिस्थापित करें।

SUBJECT:—Issue of Import Licences for steel to Actual Users.

No. 140-ITC(PN)/70.—In view of the inadequate availability of steel in the country, it has been decided to consider applications for additional import licences for steel items from actual users during April-March, 1971. A list of items for which such applications will be considered appears in the Annexure to this Public Notice.

2. Actual users both in the large and small scale sectors including DGTD units who have consumed items appearing in the Annexure during 1969-70, whether of imported or indigenous origin, may apply for additional import licences for such items consumed by them, to the extent of 50 per cent of their total consumption of these items of steel during 1969-70. In the case of electrical steel sheets and high carbon wire rods, parties who actually consumed stampings or wires/wire products made from these two, will also be entitled to import the permissible sheets or wire rods as the case may be.

3. Applications should be supported by a certificate from a Chartered Accountant or Cost Accountant (who holds a certificate of practice from the Institute of Cost and Works Accountants of India) showing detailed specifications of items consumed, quantity for each item and its value. The value to be indicated should be the CIF value in the case of imported material and purchase price in the case of indigenous material consumed.

4. Individual units in the SSI Sector should submit their applications direct to the licensing authorities and other units should apply to the licensing authority in the prescribed form and manner through the sponsoring authority concerned.

5. Engineering fabricators requiring mild steel of any category—including those not specified in the Annexure to this Public Notice—where such steel is required for export production, can submit applications for their requirements for export production. Applications for import, in such cases should be limited to half of their total consumption of mild steel items used by them for export production during 1969-70 as certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant (who holds a certificate of practice from the Institute of Cost and Works Accountants of India) or their full requirements for production to meet confirmed export orders, whichever is higher. Applications under this provision should be submitted to the DGTD (E.P.E. Cell), in the case of units borne on their books. In the case of small scale units applications should be submitted with certified copies of export orders in hand to DC (SSI) (Export Directorate), Nirman Bhavan, New Delhi. For cotton textile machinery and jute machinery manufacturers, the applications should be submitted through the respective sponsoring authorities, namely, the Textile Commissioner and the Jute Commissioner.

6. The last date for receipt of such applications by the licensing authorities or other authorities, as the case may be, will be 31st December, 1970.

7. In respect of Actual Users whose import requirements for steel items are canalised in terms of the provision made in Section III of the Import Trade Control Policy for 1970-71, applications would be considered for issue of release orders and not for import licences.

8. The grant of an import licence under the provisions of this Public Notice would not confer any immunity, exemption or relaxation from any obligation or from compliance with any requirement to which the licence holder may be subject under other laws or rules or regulations, such as, for instance, the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

9. Import licences to be issued under the Public Notice will be valid for shipment over a period of 12 months from the date of issue of the import licences subject to such other conditions as may be specified. Importers may note that requests for revalidation of such licences will not be entertained.

ANNEXURE

List of items which could be allowed for import:—

1. Forging quality blooms and slabs;
2. MS, Forging quality and all other carbon steel billets, including welding quality, 125mm x 125 mm and below.
3. Plates including MS (Semi-killed, fully killed and chequered), boiler quality and ship building quality in thicknesses 5 mm and above.
4. BP, MS Sheets (hot rolled and cold rolled) including Tinmill black plate quality, in below 5 mm thicknesses.
5. Hot rolled strips and skelp, in coils, of mild, high carbon or alloy steels (excluding stainless steel).
6. Electrical steel sheets/strips both transformer and dynamo grades.
7. High carbon (containing carbon over 0.4 per cent), cold heading quality and alloy steel (excluding stainless steel) wire rods.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए इस्पात हेतु आयात लाइसेंस जारी करना ।

सं० 140 आई०टी०सी०(पी०एन०)/70.—देश में इस्पात की अपर्याप्त मात्रा में मुलभूता को ध्यान में रखकर, वास्तविक उपभोक्ताओं से अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के दौरान इस्पात मर्दों के आयात के लिए अतिरिक्त आयात लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने का निश्चय किया गया है । जिन मर्दों के लिए इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, उसकी एक सूची इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दे दी गई है ।

2. बृहद तथा लघु पैमाने क्षेत्र दोनों के वास्तविक उपभोक्ता जिसमें डी०जी०टी०डी० एकक भी शामिल है, जिन्होंने 1969—70 के दौरान अनुबन्ध में दिखाई गई मर्दों का, चाहे वे आयातित हों या देश मूलक हों, उन मर्दों का उपभोग किया है, वे इस प्रकार की उपयोग की गई मर्दों के लिए अतिरिक्त आयात लाइसेंस के लिए 1969—70 के दौरान इन इस्पात मर्दों के अपने कुल उपभोग के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक के लिए आवेदन कर सकते हैं । विद्युत इस्पात शीटों तथा हाई कार्बन वायर राडों के मामले में, जिन पाठियों ने इन दोनों से निर्मित स्टेपिंग्स या वायरों/वायर उत्पादों का उपयोग किया है, जैसी स्थिति हो, वे भी अनुज्ञा शीटों या वायर राडों के आयात करने के अधिकारी होंगे ।

3. आवेदन-पत्रों के साथ सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल (जिनके पास भारत के लागत तथा निर्माण लेखापालों संस्थान से प्राप्त पेशा-प्रमाण-पत्र हो) से प्राप्त प्रमाण-पत्र होना चाहिए जिसमें उपभोग की गई मर्दों की प्रत्येक मद के लिए दी गई मात्रा और उसका मूल्य का विस्तृत विशेष विवरण प्रदर्शित किया गया हो । जो मूल्य संकेतित किए जाने वाला है, वह आयातित माल के मामले में सी०आई०एफ० मूल्य होना चाहिए और देशी माल के मामले में क्रय कीमत होनी चाहिए ।

4. लघु पैमाने उद्योग क्षेत्र के एककों में से एक अलग एकक को लाइसेंस अधिकारियों को सीधे ही अपना आवेदन पत्र भेजना चाहिए और अन्य एककों को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर और यथाविधि आवेदन करना चाहिए ।

5. अभियांत्रिक निर्माण के लिए मांग किए गए किसी भी श्रेणी के नरम इस्पात के लिए जिसमें वे जो, इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में विशिष्टीकृत नहीं हैं, शामिल हैं—जहां इस प्रकार के इस्पात की मांग निर्यात उत्पादन के लिए की जाती है तो वे निर्यात उत्पादन हेतु अपनी मांगों के लिए आवेदन कर सकते हैं । इस तरह के मामले में, आयात के लिए आवेदन पत्र उनके द्वारा 1969-70 के दौरान निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किए गए नरम इस्पात मर्दों के उनके कुल उपभोग की गई आधी सीमा तक के लिए दिए जाने चाहिए, जैसा कि सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल (जिनके पास भारत के लागत तथा निर्माण लेखापालों के संस्थान से प्राप्त पेशा प्रमाण-

पत्र हो) द्वारा सत्यापित किया गया है या निश्चित किए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के विचार से उपादन के लिए उनकी पूरी मांगों के लिए, चाहे इससे जो भी अधिक हो, उसके लिए दिए जाने चाहिए। यदि एककों का नाम डी०जी०डी०डी० की सूचियों में है, तो इस स्थिति में, आवेदन पत्रों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत डी०जी०डी०डी० (ई०सी०ई० सेल) को जमा किया जाना चाहिए। लघु रैमाने एककों के मामले में, आवेदन-पत्र निर्यात आदेश की सत्यापित प्रतियों के साथ डी० सी० (एस०एस०आई)—(निर्यात निदेशक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास हाथों हाथ जमा किया जाना चाहिए। सूती वस्त्र मशीन और पाट मशीन निर्माण कर्ताओं को चाहिए कि वे आवेदन पत्र अपन-अपने उत्तरदायी अधिकारियों यथा वस्त्र आयुक्त तथा पाट आयुक्त के माध्यम से जमा करें।

6. लाइसेंस अधिकारियों या अन्य अधिकारियों द्वारा जब जैसी स्थिति हो, आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1971 होगी।

7. उन वास्तविक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जिनकी इस्पात मर्दों के लिए आयात मांगें 1970-71 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के खण्ड 3 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सारणीबद्ध की गई हैं, आवेदन पत्रों पर बंटन आदेश जारी कर ने के लिए विचार किया जाएगा न कि आयात लाइसेंसों के लिए।

8. इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्था के अन्तर्गत आयात लाइसेंस की स्वीकृति देने से किसी मांग के लिए जिसके लिए लाइसेंसकारी अन्य कानूनों या नियमों या विनियमों जैसे उदाहरणार्थ, उद्योग (विकास एवम् विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आ सकता है, उसे किसी प्रकार के दायित्व या किसी प्रकार की जरूरत को पूरा करने से किसी प्रकार की उन्मुक्ति, छूट या ढील नहीं दी जाएगी।

9. इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत जारी होने वाले लाइसेंसों की वैध अवधि जहाज लदान के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस की तिथि से 12 मास की होगी जो विशिष्टिकृत की जाने वाली एसी ही अन्य शर्तों के अधीन हो सकते हैं। आयातक यह जान लें कि इस प्रकार के लाइसेंसों के पुनर्विधीकरण के लिए उनके निवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आयात के लिए स्वीकृत मर्दों की सूची :—

1. फोर्जिंग क्वालिटी ब्लूम्स और स्लेव्स।
2. एम एस फोर्जिंग क्वालिटी और अन्य कार्बन स्टील बिलेट्स जिनमें वेल्डिंग क्वालिटी, 125 एम एम × 125 एम एम और इससे कम, भी शामिल हैं।

3. प्लेटे (जिसमें एम एस सेमी किल्ड, फुल्ली किल्ड तथा चैकड) वायरलर क्वालिटी और शिप बिल्डिंग क्वालिटी मोटाई में 5 एम एम और उससे ऊपर भी शामिल हैं ।
4. मोटाई में 5 एम एम से कम टिन मिल ब्लेक प्लेट क्वालिटी सहित बी पी, एम एस शीट्स (होट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड) ।
5. होट रोल्ड स्ट्रिप्स और स्केल्स, नरम लकड़ों में, हाई कार्बन या एलाय स्टील (जिसमें स्टेनलेस स्टील शामिल नहीं है) ।
6. विद्युत इस्पात शीटें / स्ट्रिप्स—ट्रान्सफार्मर और डायनेमो ग्रेड्स दोनों ।
7. हाई कार्बन (जिसमें 0.4 प्रतिशत से अधिक कार्बन है), कोल्ड हैडिंग क्वालिटी और एलाय स्टील (जिसमें स्टेनलेस स्टील शामिल नहीं है), वायर राड ।

आर० जे० रबैलो,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

